संख्या–५२२/26–ब0प्र0–2010–2/3(33)/2010

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
सम्बन्धित लघु सिंचाई खण्ड।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक : १२ मई,2010

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत जिला योजना से वित्त पोषित टी0एस0पी0 के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (निःशुल्क बोरिंग योजना) में कृषकों हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या–90/ल0सिं0/बजट–SCSP-TSP/2010–11, दिनांक 09–4–2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में निःशुल्क बोरिंग योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत टी0एस0पी0 में कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 15,00,000/– (रूपया पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि का आवंटन संलग्न विवरणानुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

(1) प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना में टी0एस0पी0 में कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(4) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय

अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जाय। सी0टी0एल0 प्रणाली के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि में से डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना तथा डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं/ग्रामों की कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों हेतु आवश्यक धनराशि पृथक से मात्राकृत कर ली जाय और मात्राकृत धनराशि उक्त योजनाओं में चिन्हित ग्रामों में ही व्यय की जाय, ताकि लक्ष्यों की पूर्ति समयबद्ध तरीके से हो सकें।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निःशुल्क बोरिंग योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू की जाये, जहाँ भू-गर्भ जल दोहन की स्थिति संतोषजनक हों। इस योजना में भू-गर्भ जल समस्या वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा प्रतिबन्धित किया जायेगा।

(9) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड़ किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(10) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) उपरोक्त धनराशि नरेगा से डबटेल करने के उपरान्त ही व्यय की जायेगी तथा कोई भी बोरिंग का निर्माण बिना नरेगा से डबटेल किये नहीं की जायेगी।

(12) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1- मासिक व्यय विवरण — आगामी माह की 05 तारीख तक

2-- प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	..	15--10--2010 तक
3-- व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण		15--12--2010 तक
4-- वर्ष 2010--11 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो		15--02--2011 तक
5-- आवंटन का समर्पण		15--03--2011 तक

नोट :-- दिनांक 15--03--2011 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(13) तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010--11 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखा शीर्षक--2702--लघु सिंचाई--80--सामान्य--796--जनजाति क्षेत्र उप योजना--03--लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता--20--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय--व्ययक) अनुभाग--1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या--बी--1--951/दस--2010--231/2010, दिनांक 26--3--2010 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक--यथोक्त।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या--522(1)/26--ल0प्र0--2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2-- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
3-- सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
4-- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी ।
5-- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग ।
6-- सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
7-- राज्य योजना आयोग अनुभाग--3
8-- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग--3
9-- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10--महालेखाकार, (लेखा--परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11--निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जमील अख्तर)।
12--ए.आई.सी0 की प्रति।
13--गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश सं-422/26-ल-सिं/2010-दिनांक 12 मई, 2010 का संलग्नक

संख्या /ल0सिं0/बजट- scsp/tsp/10-11/दिनांक अप्रैल,2010 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2010-11के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 के अधीन लेखाशीर्षक 2702--लघु सिंचाई--आयोजनागत--80--सामान्य-796-- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--03-- लघु तथा सीमांत कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता--20--सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित अवमुक्त धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	बजट प्राविधान	प्रस्तावित अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	खीरी	21.00	15.00	15.00
	योग--	**21.00**	**15.00**	**15.00**

(रुपया पन्द्रह लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)

अनुसचिव